



HEAD-QUARTERS OFFICE
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
PANCHDEEP BHAWAN : C.I.G MARG: NEW DELHI
(ISO 9001:2008 CERTIFIED)
email: jd-admin2@esic.nic.in

No. F-16/15/2011-EVI

Dated : 25.2.2011

MEMORANDUM**Subject: Budget allotment for the year 2011-12**

A statement as per 'Annexure' showing the allotment of funds for the year 2011-12 under the primary unit of appropriation for various Regions, D(M)D and Hqrs. Office is sent herewith. The budget allotment under the primary unit of appropriation as available in the enclosed statement may be further distributed as per instructions contained in the amendments issued by the Finance & Accounts Branch from time to time.

The R.Ds etc. are requested to exercise the strict control over expenditure and ensure that no payment in excess of budget allotment accepted in any case except as mentioned in the Para 449 of the Manual of Audit & Accounts Vol.I. It may also be ensured that instructions contained in Para 3 of this office memo referred to above are strictly adhered to and the expenditure Control Register is properly monitored as prescribed in the Chapter XXVI of the Manual of Audit & Accounts Vol.I.

Further, the instructions on economy issued by the Govt. of India from time to time regarding expenditure on consumption of petrol for staff cars, expenditure on TA on tour/transfer and over-time allowance should invariably be adhered to and the expenditure be contained within the prescribed limit.

The total expenditure under the heads A-Superintendence, B-Field Work, C-Other Charges and Total Administration Expenditure may invariably be shown separately in the statement of 'Control Over Expenditure' which must reach Hqrs. office in the proforma A-107 upto 20th of next month for the month/quarter in which it is due. Separate copies of the Expenditure statement be forwarded to Establishment Br.VI of Hqrs. office.

(SUNIL TANEJA)
JOINT DIRECTOR

To,

1. All Regional Director, Regional Office, ESI Corporation.
2. Addl. Commissioner, NTA, Dwarka, Delhi.
3. All Directors/ Jt. Directors(I/C), Sub Regional Office, ESI Corporation.
4. All Med. Supdt., ESI Hospital / ESI Model Hospital.
5. Dir (M) Delhi / Noida / FWP, Basaidarapur, New Delhi.
6. All Dy.Directors (Fin)
7. Dir. (F), Hqrs. office.
8. All Branches at Hqrs office.
9. Joint Director(Systems), Hqrs. for placing in the website.



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली
आई.एस.ओ.9001-2008 (क्यू.एम.एस.) द्वारा प्रमाणित

संख्या:एफ-16/15/2011-स्था.6

दिनांक: 25.2.2011

ज्ञा प न

विषय: वर्ष 2011-12 के लिए बजट आबंटन ।

विभिन्न क्षेत्रों, निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली और मुख्यालय हेतु विनियोजन की प्राथमिक इकाई के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के लिए निधियों का आबंटन दर्शाते हुए एक विवरण प्रेषित किया जाता है । संलग्न विवरण में यथा उपलब्ध विनियोजन की प्राथमिक इकाई के अंतर्गत बजट आबंटन को समय-समय पर वित्त एवं लेखा शाखा द्वारा जारी संशोधनों में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार आगे विलरित किया जाये ।

क्षेत्रीय निदेशकों आदि से अनुरोध है कि व्यय को दृढ़ता से नियंत्रित करें तथा सुनिश्चित करें कि लेखा परीक्षा एवं लेखा नियम पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 449 में यथा उल्लिखित को छोड़ किसी भी मसले में बजट आबंटन से अधिक कोई भुगतान स्वीकार न किया जाये । यह भी सुनिश्चित किया जाये कि संदर्भित कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 में उल्लिखित अनुदेशों का दृढ़ता से पालन किया जाये तथा व्यय नियंत्रण रजिस्टर की लेखा परीक्षा एवं लेखा नियम पुस्तक खण्ड-1 अध्याय XXVI के अनुसार मॉनीटरिंग की जाये ।

इसके अलावा स्टाफ कारों के लिए पेट्रोल की खपत, दौरे/ स्थानांतरण पर यात्रा भत्ते और समयोपरि भत्ते पर व्यय के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किफायत के अनुदेशों का निरपवाद रूप से दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए तथा व्यय को निर्धारित सीमा के भीतर बनाये रखा जाये ।

क-अधीक्षक, ख-क्षेत्र कार्य, ग-अन्य प्रभार के अंतर्गत कुल व्यय तथा कुल प्रशासनिक व्यय को "व्यय पर नियंत्रण" के विवरण में निरपवाद रूप से अलग से दर्शाया जाए तथा वह प्रत्येक माह/ तिमाही से संबंधित विवरण प्रपत्र क-107 में अगले माह की 20 तारीख तक मुख्यालय में पहुँच जानी चाहिए । कृपया उक्त विवरण की प्रति मुख्यालय की स्थापना शाखा-6 को अलग से अवश्य भेजें ।

(सुनील तनेजा)
संयुक्त निदेशक

सेवा में,

1. सभी क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ।
2. अपर आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका, दिल्ली ।
3. सभी निदेशक /संयुक्त निदेशक (प्रभारी) उप क्षेत्रीय कार्यालय ।
4. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.अस्पताल/ मॉडल अस्पताल ।
5. निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/ निदेशक, परिवार कल्याण परियोजना, बसईदारापुर, नई दिल्ली ।
6. सभी उप निदेशक(वित्त) ।
7. निदेशक (वित्त), मुख्यालय ।
8. मुख्यालय की सभी शाखाएँ ।
9. स. निदेशक (प्रणाली), मुख्यालय - वेबसाइट पर प्रेषित हेतु ।